न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
राजस्व वाद सख्या–66 सन् 2006

श्री रतनसिंह पुत्र देवा जाति रावत उम्र 60 वर्ष निवासी कुशलपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0 हाल निवासी अमरी का बाडिया ब्यावर

.....वादी

बनाम

1. नरवरसिंह पुत्र श्रीलाला
2. कूका पुत्र बख्तावरा,
3. सुखदेव पुत्र बख्तावरा
4. परसा पुत्र बख्तावरा,

   समस्त जाति रावतान निवासियान कुशलपुरा तहसील मसूदा

5. भीया, पुत्र हरजी जाति रावत
6. अर्जन पुत्र हरजी जाति रावत
7. श्रीमती धापू बेवा बालू ,
8. हजारीसिंह पुत्र माला,
9. गोपी सिंह पुत्र माला
10. गोपीसिंह पुत्र मेवा,
11. मानसिंह पुत्र मेवा,

    समस्त जाति रावतान निवासी कुशलपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर राजस्थान

12. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार ,मसूदा

.....प्रतिवादीगण

वाद वाश्ते स्थाई निषेधाज्ञा
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1 श्री पंकज गादिया
वाकील वादी
2 श्री पुखराज कलवार
वकील प्रतिवादी उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

निर्णय

दिनांक 8.12.2016

वादी ने इस वाद पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि मोजा कुशलपुरा पटवार क्षेत्र कानपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित विवादित अराजी खसरा न0 186/1 रक्बा 2–18–00 बीघा 193 रक्बा 6–16–10 बीघा व 194 रकबा 7–04–00 बीघा तथा 186/2 रक्बा 03 बिस्वा कुल खसरा किता 4 रकबा 17–01–10 बीघा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 11 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमियां है जिनमें से मनबटनी से खसरा न0 194 रक्बा 7–04–00 बीघा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 व 11

के हिस्से आई हुई है जिस पर इनका ही कब्जा कश्त है अन्य आराजियात पर प्रतिवादी संख्या 5 से 9 के हिस्से आई हुई है और उन्ही का कब्जा काश्त चला आ रहा है । लेकिन राजस्व अभिलेख में अविभाजित होने से इस वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 5 से 9 को पक्षकार बनाया गया है लेकिन उनके विरूद्व किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा जा रहा है और यह वाद मात्र खसरा न0 194 रक्बा 7–04–00 बीघा के लिए ही प्रस्तुत किया जा रहा है खसरा न0 194 की अराजी में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का कोई संबध एवं सरोकार एवं स्वत्व नहीं है बावजूद इसके प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बदनियतवश खसरा न0 194 की अराजी पर जबरन कब्जा करने पर उतारू है ओर इसी उद्देश्य से वे दिनांक 26–08–2006 को मोके पर आये और हल चलाना चाहा लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके किन्तु वे धमकी देकर गये है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 व 11 द्वारा बोई गई फसल को वे काट कर ले जावेगे । प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का संतुलन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के पक्ष में है एसी स्थिति में यदि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अपने मकसद में कामयाब हो गये तो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 व 11 को असहनीय क्षति होगी तथा शान्ति भंग होने की संभावना बढ़ जावेगी

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 व 11 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में दखलंदाजी करने व कराने तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 व 11 द्वारा बोई गई फसल को क्षति पुहंचाने या किसी से पहुंचावाने आदि से निषेध किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को प्रयाप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से जवाब हक बंद किये गये। शहादत वादी में वादी रतन सिंह ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिसमें उसने कमोबेश वाद कथन ही दोहराए है तथा ग्राम कुशलपुरा की जमाबंदी संवत् 2060 से 63 के खाता सख्या 186 की प्रमाणित प्रति व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति पर क्रमशः प्रदर्श संख्या 1 से 2 अंकित कराए है।

वाद प्रत्र पर बहस विव्दान अभिभाषक वादी सुनी गई उसके तर्क वाद कथनानुसार ही रहे है। कुशलपुरा की जमाबंदी प्रदर्श 1 के अनुसार विवादित भूमियों में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 11 संयुक्त रूप से सहखातेदार है तथा प्रदर्श 2 नक्शा ट्रेस के अनुसार विवादित आराजी खसरा न0 186,193व194 एक ही चक है जिसमें खसरा न0 186/1 व 186/2 पृथक से तरमीम नहीं है।

प्रकरण में ध्यान पूवर्क मनन करने पर मेनें पाया कि विवादित आराजी खसरा न0 194 रक्बा 07–04–00 बीघा वाकै ग्राम कुशलपुरा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 11 सहखातेदार है लेकिन वादी के कथनानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 व 11 जो कि भाई भाई है मनबटनी से उनके हिस्से खसरा न0 194 की आराजी आई हुई है। तथा शेष आराजी खसरा न0 186 व 193 प्रतिवादी संख्या 5 से 9 के हिस्से आई हुई है। प्रतिवादी संख्या 5 से 9 का अभिलेख पर कोई जवाब नहीं हैं और उनके विरूद्व एकतरफा भी की जा चुकी है एसी स्थित में वादी के कथन नहीं स्वीकार योग्य पाये जातें है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

आदेश

वाद वादी बहक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 व 11 डिक्री किया जाता हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के मनबटनी से हिस्से आई मोजा कानपुरा पटवार क्षेत्र कानपुरा स्थित आराजी खसरा न0194 रक्बा 7–04–0 बीघा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के चले आ रहे कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने व दीगर व्यक्तियों से कराने तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 10 व 11 द्वारा बोई गई फसल को क्षति पुहंचाने एवं पुहंचावने से निषेध किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 8.12.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.31 17:06:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: